बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

"बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" के नियम–2 (झ) के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के सन्दर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्न प्राधिकार को "स्थानीय प्राधिकार" घोषित किया जाता है:–

1. **प्राथमिक विद्यालयों के लिए** :– ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्राम पंचायत की **"शिक्षा समिति"**। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की **"सशक्त स्थायी समिति"**।
2. **मध्य विद्यालयों के लिए** :– प्रखण्ड के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों के लिए पंचायत समिति की "शिक्षा समिति"। नगर क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सशक्त स्थायी समिति"।

स्थानीय प्राधिकार के निम्न दायित्व एवं कार्य होंगे :–

(i) प्रत्येक टोला/गाँव के लिए पड़ोस का विद्यालय तय करना।

(ii) 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन/यह सुनिश्चित करना कि एक ही बच्चा का दो विद्यालयों में नामांकन नहीं हो।

(iii) बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना तथा उपस्थिति सुनिश्चित कराना।

(iv) बच्चों के बीच भेदभाव नहीं हो, इसे देखना एवं दूर करनें का उपाय करना।

(v) बच्चों का अभिलेख संधारित करना।

(vi) विद्यालयों का समय पर संचालन।

उपर्युक्त स्थानीय प्राधिकार के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लागू करने से संबंधित कोई भी शिकायत सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार को दी जा सकती है। स्थानीय प्राधिकार द्वारा शिकायत प्राप्ति के तीन माह के अन्दर मामले का निष्पादन किया जायेगा। मामले के निष्पादन हेतु शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा।

स्थानीय प्राधिकार के निर्णय के विरूद्व शिकायतकर्ता बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के पास अपील दायर कर सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

25/4/12

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व3–34/2012 ....707............/ पटना, दिनांक–27/09/2012/

प्रतिलिपि–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक (प्रा0शि0)/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/सभी प्रमुख पंचायत समिति/सभी मुखिया ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व3–34/2012 ....707............/ पटना, दिनांक–27/09/2012/

प्रतिलिपि–सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,नई दिल्ली–110115 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– :– 8/व3–34/2012 ....707............/ पटना, दिनांक –27/09/2012/

प्रतिलिपि–आप्त सचिव माननीय शिक्षा मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 8/व3–34/2012 ....707............/ पटना, दिनांक–27/09/2012/

प्रतिलिपि–अवर सचिव, वित्त विभाग को बिहार गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।